महिला कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड

''मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना''

01 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 की अवधि में कोविड–19 महामारी एवं अन्य बीमारियों से पिता/माता/ संरक्षक की मृत्यु के कारण जन्म से 21 वर्ष तक के प्रभावित बच्चों को आर्थिक सहायता हेतु आवेदन पत्र

(शासनादेश संख्याः–136/XVII(2)/02(म0क0)/2021 दिनांक 11 जून, 2021 के अन्तर्गत)

1. बच्चे का नाम.....
2. जन्मतिथि एवं आयु (जन्म प्रमाण पत्र अथवा आयु सम्बन्धी अन्य दस्तावेज की छायाप्रति).....
3. धर्म.....
4. जाति.....
5. आधार कार्ड न0 (यदि हो तो).....
6. स्थायी पता(स्थायी निवास प्रमाण पत्र संलग्न करें).....
7. वर्तमान पता.....
8. शैक्षिक योग्यता.....कक्षा.....
9. विद्यालय/महाविद्यालय का नाम.....
10. बच्चा स्वस्थ्य है अथवा दिव्यांग.....
11. पिता का नाम.....
    A) जन्मतिथि/आयु.....
    B) जीवित/मृतक.....
    C) यदि मृतक तो मृत्यु का दिनांक.....
    D) मृत्यु का कारण.....
    E) मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करें.....
12. पिता का व्यवसाय.....
13. पिता की वार्षिक आय (समस्त स्रोतो से).....
14. पिता का आधार कार्ड न0.....
15. माता का नाम.....
    A) जन्मतिथि/आयु.....
    B) जीवित/मृतक.....
    C) यदि मृतक तो मृत्यु का दिनांक.....
    D) मृत्यु का कारण.....
    E) मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करें.....
16. माता का व्यवसाय.....
17. माता की वार्षिक आय (समस्त स्रोतो से).....
18. माता का आधार कार्ड न0.....
19. वर्तमान में बच्चा किसके साथ रह रहा है.....
20. बच्चे से उसका सम्बन्ध व पूर्ण पता मोबाइल न0 सहित (स्थायी निवास प्रमाण पत्र संलग्न करें).....

संरक्षक का विवरण

21. यदि बच्चे के माता–पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है तो संरक्षक का नाम.....
.....
22. बच्चे से सम्बन्ध .....
23. आयु.....
24. लिंग.....
25. संरक्षक का आधार कार्ड न0.....
26. संरक्षक का व्यवसाय.....
27. संरक्षक का पता मोबाइल न0 सहित (स्थायी निवास प्रमाण पत्र संलग्न करें).....
.....

बैंक विवरण

28. बच्चे के माता/पिता/संरक्षक के साथ राष्ट्रीकृत बैंक खाता सं0.....
29. बैंक का नाम..... IFSC कोड.....
30. बैंक का पता (बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति संलग्न करें).....

सम्पत्ति का विवरण

31. बच्चे के माता/पिता के नाम अचल सम्पत्ति का विवरण

क्र.सं	सम्पत्ति का प्रकार (कृषि, आवासीय, व्यवसायिक)	क्षेत्रफल	सम्पत्ति जहां स्थित है उसका पूर्ण पता	सम्पत्ति किसके नाम है।	बच्चे से उसका सम्बन्ध

32. चल सम्पत्ति का विवरण

क्र.सं	सम्पत्ति का प्रकार (वाहन, बैंक खाता आदि)	सम्पत्ति का विवरण (यथा बैंक खाते का विवरण, वाहन का प्रकार व रजिस्ट्रेशन नम्बर आदि	चल सम्पत्ति का मूल्य	चल सम्पत्ति किसके नाम है।	बच्चे से उसका सम्बन्ध

दिनांक.....

आवेदक का नाम.....
पता.....
मो0न0.....

नोट–

1. **ऐसे बच्चे जिनका एक ही अभिभावक (माता–पिता) जीवित हो तथा वह सरकारी सेवा में हो अथवा पुरानी पेंशन/पारिवारिक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहा हो अथवा आयकर सीमा में हो, तो वह मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना में आर्थिक सहायता के पात्र नहीं होगें।**
2. **मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के अन्तर्गत आवेदन हेतु उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी/मूल निवासी ही पात्र होगें।**